न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 74/2016

दर्ज दिनांकः 01/02/2016

निर्णय दिनांक : 13/06/2018

1. रामेश्वर पुत्र माधो
2. हरिनारायण पुत्र माधो

जातियानः खाती, निवासीः ग्राम दतूली, तहसील फागी, जिला जयपुर।

--वादी

बनाम

1. झूंथाराम पुत्र धन्ना
2. चंदाराम पुत्र धन्ना

जातियान जाट, निवासीः धांध की ढाणी, ग्राम रेनवाल, तहसील फागी, जिला जयपुर।

3. तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा फागी, जिला जयपुर।

वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

-: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय द्वारा दिनांक 19/05/2017 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया था कि " अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 209

Scanned by CamScanner

खसरा नंबर 1131 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 1132 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दतूली, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित आराजी का मौका कब्जा एवं सहमति अथवा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कर नक्शे व कुरैजात दो–दो प्रति में तैयार कर भिजवाये जाने के तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते है। "

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। नक्शे कुरेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नक्शे कुरेजात प्राथमिक डिक्री निर्णयानुसार प्राप्त हुये। वकील वादीगण द्वारा प्राप्त नक्शे कुरेजात के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बाद अवलोकन तहसीलदार फागी से प्राप्त नक्शे कुरेजात को सही पाया जाकर वादीगण वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजीयात स्थित ग्राम दतूली, तहसील फागी, जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	रामेश्वर, हरिनारायण पि. माधो हि.ब. जाति खाती सा. देह	1131/1 1132/1	0.14 2.11
		2	3.05
2.	झूंथाराम पुत्र धन्ना हि. 43/91, चन्दाराम पुत्र धन्ना हि. 48/91 जाति जाट ग्राम धांधा की ढाणी, ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी।	1131/2 1132/2	1.00 3.11
		2	4.11

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/06/2018 को राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

Scanned by CamScanner